Representations for protection to beedi/tobacco sector labourers in Tamil Nadu

2577. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have received representations to protect beedi and tobacco sector labourers from unemployment due to restrictions imposed thereon;

(b) if so, the details of such restriction;

(c) how Government would frame re-employment scheme for Tamil Nadu beedi and tobacco sector labourers;

(d) the details of measures to protect employment in Tamil Nadu;

(e) whether Government have evinced any interest in studying the impact of anti-tobacco and anti-beedi legislation on employment; and

(f) the reasons for not having an active employment policy for the sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (f) Government have received from time to time representations about apprehended adverse effect of certain proposed measures aiming to discourage consumption of tobacco and its products. It is understood that the restrictions contemplated in this connection are not for banning use or sale of tobacco and its products but on aspects like selling of tobacco and tobacco products within certain distance of educational institutions, hospitals, etc., on smoking in public places; on the form and content of statutory warning regarding injurious effects of such products on health etc. These apprehensions expressed from time to time have been brought to the notice of the concerned Ministry and for being taken into account while finalising the proposed measures.

फैक्टरी मालिकों के साथ निरीक्षकों की सांठ-गांठ

2578. श्री ईश दत्त यादव :

श्री नागमणि :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैक्टरी मालिकों के साथ निरीक्षकों की मिली भगत के कारण फैक्टरियों ने प्रॉविडेंट फंड के अंशदान को समय पर जमा नहीं किया है जिसके कारण श्रमिकों को कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अंशदान की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिसे समय पर जमा कराने की चूक हुई है ; और

(ग) निरीक्षकों की भूमिका पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वे मिल मालिकों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) कुछ नियोजक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार अपने अंश को जमा कराने में चूक करते हैं। 31.3.1986 को स्थिति के अनुसार ऐसी चूकों का क्षेत्र वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए) नियोजकों द्वारा इन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिन मामलों में भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाई न करने अथवा